अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना

!! अधिसूचना !!

संचिका संख्या–अ०स०क०–01–13/2009 638 /भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी संवर्ग में भर्त्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।** –
   (i) यह नियमावली ''बिहार प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2018'' कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ** – जब तक विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में :
   (i) ''**नियुक्ति प्राधिकार**'' से अभिप्रेत है प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमण्डल अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के संदर्भ में प्रधान सचिव/सचिव।
   (ii) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी संवर्ग
   (iii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
   (iv) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
   (v) "आयोग" से अभिप्रेत है ;बिहार लोक सेवा आयोग;
   (vi) ''विभाग'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग;

3. **संवर्ग का गठन । – यह संवर्ग राज्यस्तरीय होगा।**

   इस संवर्ग में निम्नांकित पद होंगे –

क्र० स०	पदनाम	अराजपत्रित/ राजपत्रित	नियुक्ति प्राधिकार
1	*2*	*3*	*4*
1.	प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	अराजपत्रित	प्रधान सचिव/सचिव
2.	अनुमण्डल अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	अराजपत्रित	प्रधान सचिव/सचिव

संवर्ग की प्रत्येक कोटि के स्वीकृत पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या वही होगी जो इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि तक सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गई हो तथा उसके बाद सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अथवा अवधारित की जाय।

4. **संवर्ग में प्रवेश बिन्दु एवं सम्पुष्टि की प्रक्रिया।** –
   (क) संवर्ग की मूल कोटि का पद प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पद होगा जो आयोग द्वारा संचालित स्नातकस्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरा जायेगा। आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची के आधार पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी।
   (ख) सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अहर्ता स्नातक होगी। सीधी भर्ती के लिए प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल को उपलब्ध रिक्ति की आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी। सीधी भर्ती के लिए परीक्षा, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ग) प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को इस पद पर नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परीक्ष्यमान की अवधि दो वर्षों की होगी। परीक्ष्यमान की अवधि में सेवा/कार्यकलाप संतोषजनक रहने, विभागीय दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करने तथा निर्धारित विभागीय परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करने पर प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्टि की जायेगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से परीक्ष्यमान अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। परीक्ष्यमान अवधि में भी कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहने या उनके विरूद्ध गंभीर आरोप होने पर सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(घ) सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी को (परीक्ष्यमान अवधि में) राजभाषा निदेशालय द्वारा आयोजित हिन्दी–टिप्पण–प्रारूपण परीक्षा में एक वर्ष के अन्दर उत्तीर्णता प्राप्त कर लेने के पश्चात ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा। प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही दी जा सकेगी।

5. **प्रोन्नति के लिये चयन का मापदण्ड**। – संवर्ग के अन्तर्गत प्रोन्नति के लिये अभ्यर्थियों के उपयुक्तता का मापदण्ड "वरीयता सह योग्यता" का सिद्धान्त होगा। प्रोन्नति के लिए कालावधि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगा।

6. विभागीय परीक्षा के लिए विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा किया जा सकेगा।

7. प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी से अनुमंडल अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति, वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से दी जायेगी। एतदर्थ विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग से आदेश निर्गत कर किया जा सकेगा।

8. **आरक्षण**। – राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण संबंधी नीति/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

9. **संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण**। –

(क) संवर्ग के सभी कोटि के पदों का प्रशासी विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होगा, जो संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(ख) परिचालनात्मक (ऑपरेशनल) नियंत्रण – प्रखण्ड/अनुमंडल अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिस अनुमण्डल/प्रखण्ड में पदस्थापित रहेंगे, उस कार्यालय प्रधान के परिचालनात्मक नियंत्रण में रहेंगे।

10. **वरीयता का निर्धारण**। – आयोग द्वारा सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता, आयोग के परीक्षाफल में निर्धारित (मेधासूची) योग्यताक्रम के अनुरूप होगी तथा अनुमंडल अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के वरीयता का निर्धारण उनकी प्रोन्नति आदेश की तिथि के अनुसार होगा। सभी पदो के लिए वरीयता कोटि क्रमांक सूची अलग–अलग संधारित की जायेगी। वरीयता निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/परिपत्र/आदेश इस संवर्ग पर भी प्रभावी होगा।

11. **प्रकीर्ण विषय**। – इस नियमावली या इसके अधीन जारी किये गये आदेशों से अनाच्छादित मामलों के संदर्भ में इस संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के कार्मिकों के संबंध में लागू संहितायें/नियमावली/संकल्प/अनुदेश द्वारा शासित होंगे।

12. **निर्वचन**।– इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय विभाग को निदेशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

13. **विनियमावली बनाने की शक्ति**। – इस नियमावली में विहित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विनियमावली का गठन किया जा सकेगा।

14. **कठिनाई दूर करने की शक्ति**। – प्रधान सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को क्रियान्वित करने में उत्पन्न होने

वाली कठिनाईयों को सरकार के अनुमोदन से ऐसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् दूर कर सकेगी।

15. **<u>निरसन एवं व्यावृति।</u>** –

(i) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जाएगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(मो० एस० आई० फैसल)
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०स०क०–01–13/2009....................../ पटना दिनांक–............................

प्रतिलिपि– वित्त विभाग ई–गजट शाखा/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०स०क०–01–13/2009....................../ पटना दिनांक–......................

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०स०क०–01–13/2009 638/ पटना दिनांक– 12.6.18

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(signature)
विशेष सचिव–सह–निदेशक

Minority Welfare Department
<u>Bihar, Patna</u>

!! Notification !!

File No. M.W.D.-01-13/2009............./ In exercise of the power conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for regulating the process of recruitment and service conditions of Block Minority Welfare Officer cadre :-

1. **Short title, extent and commencement :-**
   (i) These rules may be called the "Bihar Block Minority Welfare Officers Cadre Rules, 2018."
   (ii) It shall extend to whole of the state of Bihar.
   (iii) It shall come into force at once.

2. **Definitions :-** In these Rules, unless in the context otherwise requires :-

   (i) **"Appointing Authority"** means Principal Secretary/Secretary in case of Block Minority Welfare Officer and Sub Divisional Minority Welfare Officer ;

   (ii) **"Cadre"** means Bihar Minority Welfare Officers Cadre ;

   (iii) **"Government"** means the Government of Bihar ;

   (iv) **"Governor"** means the Governor of Bihar ;

   (v) **"Commission"** means Bihar Public Service Commission ;

   (vi) **"Department"** means Minority Welfare Department, Bihar ;

2. **Formation of Cadre :- This will be a state level cadre.** This cadre shall have following posts -

Sl. No.	Name of Post	Gazetted/ Non-Gazetted	Appointing Authority
1	*2*	*3*	*4*
1.	Block Minority Welfare Officer	Non-Gazetted	Principal Secretary/ Secretary
2.	Sub-Divisional Minority Welfare Officer	Non-Gazetted	Principal Secretary/ Secretary

The number of sanctioned posts in each grade of this cadre and its total number shall be commensurate to the number of posts sanctioned/proposed till the date at which this rule comes into effect and there after sanctioned or proposed by the Government time to time.

4. **Entry point into cadre and process of confirmation**

(a) The basic grade post shall be that of Block Minority Welfare Officers which will be filled through graduate level competitive exam conducted by the Commission. Appointment will be made by the appointing authority from the merit list recommended by the Commission.

(b) The minimum eligibility for direct recruitment shall be graduation. On the 1st of April every year, requisition for direct requirement against available vacancy with reservation roster shall be made to the Commission. The syllabus and the process of the exam for the direct recruitment shall be determined by the Commission.

(c) The Block Minority Welfare Officers shall be pronounced as probationers from the date of appointment. The probation period shall be of two years. Their service to the post of Block Minority Welfare Officer will be confirmed only if during the probation period their service/conduct is found satisfactory having fully discharged departmental duties and after passing the prescribed departmental exams. If the service is not found satisfactory during the probation period, the probation period may be extended for one more year for reasons to be recorded in writing. If conduct of any probationer is not found satisfactory or there is serious allegation against him/her during the probation period, he/she shall be dismissed from the service.

(d) The officers appointed on direct recruitment (during the probation period) shall have to pass hindi noting-drafting exam conducted by Raj Bhasha Directorate within a year then only they will be eligible for the annual increment salary. After the first salary increment, the next increment shall be granted only after passing the departmental exams.

5. **Critria of selection for promotion**

The principle of "Seniority-cum-Merit" shall be the basis for determining the eligibility of candidates for promotion within the cadre. The time period (Kalawadhi) for the promotion shall be decided on the basis of criteria fixed by the General Administration Department.

6. The subject, syllabus and process for departmental exams shall be determined by the Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar.

7. The promotion from Block Minority Welfare Officer to Sub-Divisional Minority Welfare Officer shall be done on the basis of recommendation made by the Departmental Promotion Committee on the basis of seniority-cum-merit. The formation of the Departmental Promotion Committee will be done by issuance of separate order by the Department.

8. **Reservation**

The reservation Rules/roster notified by the State Government for appointment/Promotion in government the services shall be complied with.

9. **Administrative control over members of cadre**

(a) The Minority Welfare Department shall be the controlling department for all posts of the cadre and the Department shall have administrative control over the members of the cadre.

(b) Operational control- The Block/Sub Divisional Minority Welfare officer shall be under the operational control of the Head of the Office of that block/sub division.

10. **Determination of Seniority**

The inter-se seniority of the Block Minority Welfare Officers shall be determined on the basis of the merit list of the competitive exam conducted by the Commission, on the basis of which officers were recruited; and for Sub Divisional Minority Welfare Officer the same will be the date of promotion order. The seniority list of each post shall be maintained separately. The Resolution/Circular/Order related to the fixation of seniority issued by the General Administration Department shall be effective on this cadre also.

11. **Residuary matter**

With regard to matter not specifically covered by these rules or orders issued under these rules, the members of this cadre shall be governed by the codes/Rules/Resolution/Orders applicable to the employees of the appropriate level, state government.

12. **Interpretation**

In case of doubt on interpretation of any provision of this regulation, the matter will be referred to the Department which in consultation with Law Department shall take final decision on the issue.

13. **Power to make regulation**

For implementation of the provisions prescribed under these rules, necessary regulations may be constituted by the state government.

14. **Power to remove difficulty**

The Principal Secretary/Secretary, Minority Welfare Department in consultation with the Law Department can ease any difficulty in implementing any provision of this regulation by way of issuance of general or special orders not inconsistent with any provision of this regulation, after approval of the government.

15. **<u>Repeal and Saving -</u>** (1) Any resolution /regulation/order in respect of this cadre, issued time to time in past is hereby repealed.

(2) Not withstanding of such repeal any act done or any action taken in exercise of the powers conferred by such previously issued Resolution/ Rules/Order etc. shall be deemed to be done or taken under these rules as if these rules were in force on the date on which such act was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,

(Md. S.I. Faisal)
Special Secretary-cum-Director
Minority Welfare Department,
Bihar, Patna